न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 25/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/219

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :—
श्री दलपतसिंह पुत्र छतरसिंह, जाति राजपूत निवासी मण्डली खुर्द, तहसील पाली, जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
रेस्पोडेण्ट्स की ओर से सरकारी पेरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 06.05.2024

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम डेण्डा नामान्तरकरण संख्या 4285 दिनांक 30.06.2021 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव व रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो व वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम डेण्डा तहसील पाली के खसरा नम्बर 462/1729 रकबा 15 बीघा का संवत् 2020 में आवंटन किया गया था। जिसकी पालना में आवंटी अपीलाण्ट को आवंटनसुदा आराजी का कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 58 के गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। जिस पर अपीलाण्ट आवंटी द्वारा मौके पर काबिज कर काश्त करने से आंवटन की पूर्ण शर्तो का पालन करने से अपीलाण्ट को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार जरिये नामान्तरकरण संख्या 456 जारी कर उक्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में खातेदार अंकित किया गया जिस पर अपीलाण्ट का आवंटन से काबिज कर काश्त करता था व आज भी मौके पर काबिज रह काश्त करता है। तत्पश्चात अपीलाण्ट की आवंटनसुदा आराजी को रेस्पोडेण्ट द्वारा श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के न्यायालय में अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत अपीलाण्ट के आवेदन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना—पत्र पेश किया गया, जिस प्रार्थना—पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व विविध प्रकरण संख्या 595/1981 में सादिर निर्णय दिनांक 08.02.1982 की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1476 के राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक दर्ज कर दी गई उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें अपील

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

स्वीकार की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट द्वारा आज तक किसी प्रकार की अपील पेश नहीं की गई एवं विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के कानून की मंशा के खिलाफ अपीलाण्ट की आवंटनशुदा भूमि का अमल दरामद नहीं किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी आवंटनशुदा भूमि के आवंटन आदेश संवत् 2020 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30.06.1993 को बहाल रखा जाने से अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के आदेश दिनांक 08.02.1982 की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1476 के उक्त आराजी को राजकीय रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम हटाकर सिवाय चक दर्ज कर दी गई थी। अपीलाण्ट की ओर से अपीलाण्ट को उक्त आराजी का खातेदार घोषित करने एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु एक राजस्व वाद सक्षम सहायक कलक्टर पाली के न्यायालय में पेश किया जिस राजस्व वाद संख्या 48/2012 बअनवान दलपतसिंह बनाम सरकार में सादिर फैसला डिक्री दिनांक 21.10.2019 के जरिये स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट को खातेदार घोषित किया गया है। उक्त न्यायालय डिक्री की पालना में अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित किये जाने बाबत् नामान्तरकरण जैर अपील पर रेस्पोडेण्ट द्वारा द्वारा "श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेशानुसार उक्त प्रकरण में अपील पेश किये जाने का निर्णय लेने के कारण नामान्तरकरण खारिज किया जाता है" का नोट अंकित करते हुए आदेश जैर अपील खिलाफ अपीलाण्ट सादिर करने में कानूनी वाक्याती गंभीर भूल की है जिसे अदालत मातेहत द्वारा सादिर नामान्तरकरण जैर अपील कानूनन काबिले निरस्त है। अतः अपील–अपीलाण्ट मंजूर फरमाते हुए अदालत मातेहत तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण 4285 खारिज दिनांक 30.06.2021 को निरस्त फरमाते हुए अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि जैर अपील आदेश विधिनुसार ही जारी किया गया है जो सही व सत्य है। अतः अपील सव्यय खारिज फरमावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से प्रकरण में यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 58 से अपीलाण्ट को विवादित भूमि आराजी संख्या 462/1729 रकबा 15 बीघा का आवंटन से नामान्तरकरण वर्ष 1963 में दर्ज किया गया था। उक्त आवंटन के खातेदारी अधिकारी अपीलाण्ट आवण्टी को नामान्तरकरण संख्या 456 से वर्ष 1973 में किया गया। यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 595/1981 दिनांक 08.02.1982 सें उक्त आवंटन निरस्त कर दिया गया तथा उक्त आवंटन निरस्तीकरण आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1476 से वर्ष 1989 में इस भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज किया गया है। यह भी रेकर्ड से प्रमाणित है कि न्यायालय, राजस्व

अपील प्राधिकारी, जोधपुर के प्रकरण संख्या 15/1991 दिनांक 30.01.1993 से उक्त आवंटन को बहाल कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के आदेश को अपास्त कर दिया गया।

उक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट का आवंटन न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के आदेश से बहाल हो गया था परन्तु इस आदेश दिनांक 30.01.1993 की क्रियान्विति वर्ष 2012 (वाद दायरी वर्ष तक) अर्थात् 19 वर्ष तक क्यों नहीं हुई, इस का कोई आधार पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के रेकर्ड के अनुसार वर्ष 2012 में अपीलाण्ट द्वारा उस का आवंटन बहाल हो जाने के बावजूद भी घोषणात्मक वाद संख्या 48/2012 सरकार के विरूद्ध घोषणा का प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्णय दिनांक 21.10.2019 द्वारा अपीलाण्ट को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 21.10.2019 को ही इसकी डिक्री पारित की गई। पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार पत्रांक 134 दिनांक 22.01.2021 को इस कार्यालय से अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा तहसीलदार पाली को उक्त घोषणात्मक डिक्री की क्रियान्विति नहीं किये जाने का आदेश जारी किया गया जो कार्यालय के पत्रांक 134 दिनांक 22.01.2021 से किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में ही तहसीलदार द्वारा वर्तमान अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4285 के डिक्री की इजराय के नामान्तरकरण को दिनांक 30.06.2021 को खारिज किया है एवं इस प्रकरण की अपील प्रस्तुत की है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रकरण में हमारे समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 4285 जिस का न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.06.2021 को नामान्तरकरण निरस्त करने का निर्णय किया है। यह निर्णय न्यायालय डिक्री की पालना में जारी नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है तथा तहसीलदार का यह आदेश इस कार्यालय से जारी पत्र संख्या 134 दिनांक 22.01.2021 से नामान्तरकरण की क्रियान्विति नहीं किये जाने की पालना में पारित किया गया है।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में विधि के शासन में हमेशा यह अपेक्षित होता है कि विधि में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही न्यायिक प्रक्रिया को संचालन किया जाये। यह प्रकरण स्पष्टतः डिक्री की इजराय में नामान्तरकरण पारित नहीं कर निरस्त किये जाने से संबंधित है जो स्पष्टतया डिक्री की इजराय नहीं किये जाने पर संबंधित नामान्तरकरण की प्रक्रिया से सीधा संबंधित नहीं है अपितु डिक्री की इजराय नहीं होने पर आदेश 21 जाब्ता दीवानी एवं उसमें वर्णित प्रावधानों तथा डिक्री की पालना नहीं होने पर संबंधित न्यायालय में अथवा डिक्री की इजराय नहीं होने पर आदेश 41 जाब्ता दीवानी के तहत अपील किये जाने से संबंधित प्रकरण है।

नामान्तरकरण एक संक्षिप्त एवं वित्तीय प्रक्रिया है तथा वह मूलतः भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा रेकर्ड में त्रुटि विधिक/तथ्यात्मक त्रुटि निराकरण हेतु होती है। अतएव यह प्रकरण प्रथमतया राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 75 में अपीलीय प्रावधानों में नामान्तरकरण की अपीलीय प्रावधानों के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर डिक्री की इजराय अथवा इजराय नहीं होने पर उस के अपीलीय प्रावधानों से संबंधित है। तद्नुसार प्रथम–दृष्ट्या इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार भू–अभिलेख अधिकारी के नाते नहीं बनता क्योंकि डिक्री की इजराय बाबत् सुस्पष्ट प्रावधान है। अतएव अपीलाण्ट को उन्हीं संबंधित प्रावधानों में कार्यवाही करनी चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी पाते है कि इस कार्यालय के आदेश पत्रांक 134 दिनांक 22.01.2021 से उक्त डिक्री की

पालना नहीं किये जाने के आदेश पूर्व से ही पारित शुदा है एवं तदानुक्रम में ही यह नामान्तरकरण अपास्त किया गया है अर्थात् इस नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने के संदर्भ में यह इस न्यायालय के कार्यालय द्वारा पूर्व में आदेश प्रसारित कर रखा है एवं तद्नुसार ही नामान्तरकरण निरस्त किया गया है तो यह न्यायालय पुनः अपने आदेश को ही अपील के रूप में पुनः सुनने की सक्षमता नहीं रखता न ही यह प्रकरण review के scope में है। उक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस अपीलाधीन प्रकरण में इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार डिक्री की इजराय से संबंधित होना एवं इस न्यायालय के ही पूर्व आदेश के क्रम में नामान्तरकरण अपास्त होने के आदेश किये जाने के कारण अपना क्षेत्राधिकार इस प्रकरण में नहीं पाता एवं तद्नुसार यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली